

नीलामी सूचना प्रकाशन 05/2025-26

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय खनि अभियन्ता कोटा क्षेत्राधिकार में विभिन्न राजस्व ग्रामों के खातेदारी/सरकारी खसरों में अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग के दौरान आरएमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60 के तहत जब्तशुदा खनिज बजरी काली/बनास/मेसनरी स्टोन जैसी भी जितनी भी जहां भी है, उसी स्थिति में नीलामी हेतु दरें सीलबन्द लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। जिनका विवरण निम्न तालिका व विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in एवं पोर्टल <https://sppp.rajasthan.gov.in> तथा कार्यालय नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रपत्र राशि रुपये 100 का डी.डी./बैंकर्स चैक खनि अभियन्ता कोटा के नाम जमा कराकर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय खनि अभियन्ता, खनिज भवन, प्लॉट नं. 3, टैगोर नगर, रावतभाटा रोड़, कोटा से प्राप्त किये जा सकते हैं।

नीलामी हेतु खनिज काली बजरी का संक्षिप्त विवरण-

क्र.सं.	राजस्वग्राम एवं खसरा संख्या तहसील (जहाँ जब्तशुदा काली बजरी पड़ी है)	खनिज की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बयाना/अमानत राशि (रु० में)	निविदा आमंत्रण तिथी	निविदा खोलने की तिथी	न्यूनतम बोली राशि (रु० में)/प्रति टन
1	खसरा 643 किस्म खातेदारी ग्राम खेडीयामान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी	80 टन	3600	04.08.2025	05.08.2025	450
2	खसरा 364 किस्म खातेदारी ग्राम खेडीयादुर्जन तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी	300 टन	13500	04.08.2025	05.08.2025	450
3	खसरा 757 किस्म बारानी खोतदारी ग्राम झालीजी का बराना तहसील के. पाटन जिला बून्दी	300 टन	13500	04.08.2025	05.08.2025	450
4	ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा	30 टन	1350	05.08.2025	06.08.2025	450
5	खसरा सं. 1408/516 खातोली से सवाईमाधोपुर रोड ग्राम लाखनी जिला कोटा	30 टन	1350	05.08.2025	06.08.2025	450
6	खसरा सं. 01 ग्राम खातोली जिला कोटा	150 टन	6750	05.08.2025	06.08.2025	450
7	खसरा सं. 525 ग्राम खातोली जिला कोटा	100 टन	4500	05.08.2025	06.08.2025	450
8	खसरा सं. 03 ग्राम खातोली जिला कोटा	100 टन	4500	05.08.2025	06.08.2025	450
9	खसरा सं. 1342/57 खातोली से सवाईमाधोपुर रोड ग्राम खातोली जिला कोटा	80 टन	3600	05.08.2025	06.08.2025	450
10	खातोली इटावा रोड़ आवासीय कॉलोनी ग्राम खातोली इटावा जिला कोटा	870 टन	39150	05.08.2025	06.08.2025	450
11	खसरा संख्या 845 ग्राम गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा	400 टन	18000	05.08.2025	06.08.2025	450
12	ग्राम राजपुरा बम्बूलिया मुख्य सड़क की ओर	400 टन	18000	05.08.2025	06.08.2025	450
13	ग्राम राजपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा	500 टन	22500	05.08.2025	06.08.2025	450
14	ग्राम हवा खेरली तहसील पीपल्दा जिला कोटा (हवा खेरली मुख्य सड़क किनारे)	300 टन	13500	05.08.2025	06.08.2025	450
15	ग्राम फतेहपुरखुशक तहसील तहसील दीगोद (सरपंच के घर के परिसर में)	20 टन	900	06.08.2025	07.08.2025	450
16	ग्राम मण्डावरा तहसील दीगोद जिला कोटा	80 टन	3600	06.08.2025	07.08.2025	450
17	ग्राम फतेहपुरखुशक तहसील तहसील दीगोद	150 टन	6750	06.08.2025	07.08.2025	450
18	ग्राम झोटोली (सुल्तानपुरा मण्डावरा रोड़ के किनारे)	540 टन	24300	06.08.2025	07.08.2025	450

19	ग्राम झोटोली (सुल्तानपुरा मण्डावरा रोड़ के किनारे)	151 टन	6795	06.08.2025	07.08.2025	450
20	ग्राम आमोरा ग्राम पंचायत बमोरी तहसील दीगोद (सरपंच निवासी आमोरा के मकान के सामने)	210 टन	9450	06.08.2025	07.08.2025	450

नीलामी हेतु बनास बजरी का संक्षिप्त विवरण-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम एवं खसरा संख्या तहसील (जहाँ जब्तशुदा बनास बजरी पड़ी है)	खनिज की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बयाना/अमानत राशि (रु० में)	निविदा आमंत्रण तिथि	निविदा खोलने की तिथि	न्यूनतम बोली राशि (रु० में)/प्रति टन
1	ग्राम केशोपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा	2016 टन	141120	07.08.2025	08.08.2025	700
2	पुलिस थाना महावीर नगर, जिला कोटा	68 टन	4760	07.08.2025	08.08.2025	700
3	पुलिस थाना उद्योग नगर, जिला कोटा	135 टन	9450	07.08.2025	08.08.2025	700
4	पुलिस थाना अयाना, जिला कोटा	360 टन	25200	07.08.2025	08.08.2025	700
5	पुलिस थाना भीमगंजमण्डी जिला कोटा स्थान उम्मेद सिंह स्टेडियम	145 टन	10150	07.08.2025	08.08.2025	700
6	पुलिस थाना बोरखेड़ा, जिला कोटा	99 टन	6930	07.08.2025	08.08.2025	700
7	पुलिस थाना रेल्वे कॉलोनी, जिला कोटा	160 टन	11200	07.08.2025	08.08.2025	700
8	कार्यालय परिसर खनिज भवन, टैगोर नगर, प्लॉट नम्बर 3, रावतभाटा रोड़, कोटा	90 टन	6300	07.08.2025	08.08.2025	700

नीलामी हेतु मेसनरी स्टोन का संक्षिप्त विवरण-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम एवं खसरा संख्या तहसील (जहाँ जब्तशुदा खनिज पड़ी है)	खनिज की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बयाना/अमानत राशि (रु० में)	निविदा आमंत्रण तिथि	निविदा खोलने की तिथि	न्यूनतम बोली राशि (रु० में)/प्रति टन
1	खसरा संख्या 735 ग्राम दीपपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा	1250 टन	43750	07.08.2025	08.08.2025	350

समुहों में पड़े जब्तशुदा खनिज काली बजरी/बनास बजरी/मेसनरी स्टोन की प्रत्येक समुह के लिए अलग-अलग बोली दरें सीलबन्द लिफाफे में निविदा आमंत्रण तिथि को प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यालय खनि अभियन्ता, खनिज भवन, प्लॉट नं. 3, टैगोर नगर, रावतभाटा रोड़, कोटा के कमरा नम्बर 112 में प्राप्त की जायेंगी। निर्धारित समय तक प्राप्त सीलबन्द निविदाएं कमेटी द्वारा निविदा खोलने की तिथि को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खनि अभियन्ता कोटा कक्ष संख्या 114 में खोली जायेगी। नीलामी की शर्तें कार्यालय खनि अभियन्ता कोटा व विभागीय वेबसाईट www.mines.rajasthan.gov.in एवं पोर्टल <https://sppp.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती हैं।

(आर.एन. मंगल)
खनि अभियन्ता कोटा

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्तें निम्नानुसार रहेंगी—

1. निविदा सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से पुलिस थाना/क्षेत्र/स्थल का नाम जहाँ बजरी पड़ी है, लिखा होना चाहिए। सभी निविदाएं कार्यालय खनि अभियन्ता कोटा के कमरा नम्बर 112 पर रखे टेन्डर बॉक्स में नियत तिथि को प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ निविदा विज्ञप्ति में वर्णितानुसार बयाना/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो खनि अभियन्ता कोटा के नाम हो, निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई निविदादाता अलग-अलग थाना परिसर/चौकी/स्थल की बजरी के लिये निविदा प्रस्तुत करता है, तो बयाना/अमानत राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक अलग-अलग ही संलग्न करने होंगे। निविदा राशि 10 रु० प्रति टन के गुणक में ही मान्य होगी।
3. निविदापत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि निविदादाता या निविदादाताफर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, कम्पनी के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।
4. जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित थाना/चौकी/क्षेत्र/स्थल पर की जा सकती है।
5. जब्तशुदा बजरी संबंधित थाना/चौकी/क्षेत्र/स्थल में जैसी भी, जितनी भी, जहाँ भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपुर्द की जावेगी।
6. प्राप्त निविदाएं कमेटी द्वारा नियत तिथि को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खनि अभियन्ता कोटा के कक्ष संख्या 114 में खोली जाकर उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। आदेश प्राप्ति के तीन कार्य दिवस में सम्पूर्ण निविदा राशि ऑनलाईन विभागीय मद में जमा करायेगें। राशि जमा होने की तिथि से 5 दिवस सहित अधिकतम 6 दिवस में समस्त बजरी उठानी होगी अन्यथा जमा बयाना/अमानत राशि जब्त करते हुए बजरी पुनः राज्य पक्ष में ली जावेगी।
7. निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक के उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, मजदूरी व परिवहन इत्यादि अन्य खर्चे) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय निविदादाता का ही होगा।
8. निविदादाता को पहचानपत्र/फोटो आई. डी. इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाणपत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्तयारनामा यदि जारी किया गया हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशकों की सूची इत्यादि की प्रति साथ में लानी होगी।
9. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
10. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उर्ज/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे एवं किसी भी न्यायिकवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र कोटा होगा।
11. सफल निविदा दाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरान्त कार्यालय खनि अभियन्ता कोटा द्वारा वाहन के वजन क्षमतानुसार खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी खनिज बजरी से भरा वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
12. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवा कर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
13. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जावेगा। स्टॉक के बेलेन्स की गणना कर रजिस्टर की फोटो संबंधित खनि अभियन्ता अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) को वाट्सएप पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
14. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना, वाहनों की फोटो एवं कम्प्युटरिकृत/अधिकृत तुलायंत्र की वनज पर्ची खनि अभियन्ता कोटा को वाट्सएप पर भेजने के पश्चात ही वाहनों को रवाना किया जा सकेगा।

15. नीलामी की गई बजरी का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफलतम निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगी स्थान पर परिवहन करेगा।
16. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक की फोटो, वाहनों की तौलपरिचियां एवं भरे हुये वाहनों के फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।
17. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः नीलामी कर सकेगा और इस संबंध में सफल निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
18. सफलबोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों के अनुमत नहीं होगा।
19. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मैनुअल रवन्ना जारी किया जावेगा।
20. खनिज के परिवहन में जीपीएस युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जावेगी।
21. शेष सभी शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार रहेगी।

(आर.एन. मंगल)

खनि अभियन्ता कोटा

क्रमांक— खअ/कोटा/अना./नीलामी/2025/ 685-694
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

दिनांक— 21.07.2025

1. श्रीमान् जिला कलक्टर कोटा।
2. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जिला कोटा शहर/ग्रामीण।
3. श्रीमान् निदेशक निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
4. डीएमजीओएमएस निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक (खान) कोटा।
6. श्रीमान् अधीक्षण खनि अभियन्ता कोटा।
7. श्रीमान् अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) कोटा।
8. संबन्धित थानाधिकारी।
9. सहायक लेखाधिकारी कार्यालय हाजा।
10. तकनीकी स्टाफ कोटा कार्यालय हाजा।

खनि अभियन्ता कोटा